न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मकराना जिला डीडवाना–कुचामन

बइजलास – जे.पी. बैरवा आर.ए.एस.

मुकदमा नं. 70/2021

वादी :–

1. पन्नाराम पुत्र जोधाराम के फौत होने पर उसके कायम मुकाम 1/1 मुकेश गोद पुत्र पन्नाराम जाति नाई निवासी मैयाखुर्द तहसील मकराना

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. कानाराम पुत्र सुगनाराम
2. गणपत पुत्र किशनाराम
3. पुखराज पुत्र मदनलाल
4. पप्पू पुत्र किशनाराम
5. पिन्टू पुत्र सुगनाराम
6. भंवरलाल पुत्र मदनलाल के फौत होने पर उनके कायम मुकाम
   6/1 फुला देवी पत्नि भंवरलाल
   6/2 चन्द्रशेखर पुत्र भंवरलाल
   6/3 पुजा पुत्री भंवरलाल
   6/4 नितु पुत्री भंवरलाल
   6/5 काजल पुत्री भंवरलाल
7. भंवरी पत्नि किशनाराम
8. राजूराम पुत्र सुगनाराम
9. लिछमनराम पुत्र सुगनाराम
10. सुनिल पुत्र किशनाराम
11. नाबालिग सुमन पुत्री किशनाराम संरक्षक माता भंवरी पत्नि स्व. किशनाराम
12. नाबालिग हेमराज पुत्र किशनाराम संरक्षक माता भंवरी पत्नि स्व. किशनाराम जाति सभी नाई निवासीगण मैयाखुर्द तहसील मकराना जिला नागौर
13. बाबुलाल पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी पालड़ी राजा तहसील मकराना जिला नागौर
14. तहसीलदार मकराना

वकील वादी – श्री विकास चौधरी
वकील प्रतिवादी – श्री धर्माराम चौधरी

दावा बाबत अधिकारों की घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

वाद वादीगण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के सयुक्त खातेदारी कृषि भूमि मौजा ग्राम मैयाखुर्द की राजस्व सीमा मे खसरा नम्बर 49 रकबा 2.0558 हैक्टयर खसरा नम्बर 60 रकबा 3.2051 हैक्टयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 5.2609 हैक्टयर आई हुई है। जमाबन्दी संलग्न वाद पेश है। जिन्हे वाद पत्र का भाग समझा जावें। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 एक ही परिवार के सदस्य है जिनका सिजरा खानदान पैरा संख्या 2 के अनुसार है। स्वर्गीय जोधाराम जी के चार पुत्र एवं और पांच पुत्रीया हुऐ थे पन्नाराम जी के कोई आल ओलाद नहीं हुऐ थे मदनलाल जी के दो पुत्र व एक पुत्री हुये एवं सुगनाराम जी के चार पुत्र हुए एवं किशनाराम जी के पांच पुत्र व एक पुत्री हुये किशनाराम जी वादी के वास्तविक पिता है एवं पन्नाराम वादी के गोद पिता है वादी मुकेश को बाल्यकाल अवस्था मे ही स्वर्गीय पन्नाराम ने अपनी सेवा चाकरी के लिए गोद रख लिया था तथा

उपखण्ड अधिकारी
मकराना

स्वर्गीय किशनाराम जी ने वादी को पन्नाराम के औलाद नहीं होने से गोद दे दिया था। वादी मुकेश बाल्यकाल अवस्था से ही स्वर्गीय पन्नाराम पुत्र श्री जोधाराम के पास बहैशियत पुत्र रहता रहा है। वादी को पाल पोश कर स्वर्गीय पन्नाराम जी ने ही बड़ा किया था तथा पढ़ाई लिखाई भी वादी के गोद पिता पन्नाराम ने ही करवाई थी वादी भी अपने गोद पिता को वास्तविक पिता की तरह मानते हुऐ उनकी सेवा चाकरी करता रहा। वादी मुकेश के वास्तविक पिता किशनाराम वादी के गोद पिता से पुर्व फौत हो गये उस वक्त राजस्व कर्मचारियो द्वारा विरासत का नामान्तकरण भरते समय वादी का भी किशनाराम के हक हिस्से की भूमि मे नाम दर्ज कर दिया जो की गलत दर्ज हुआ क्योकि वादी स्वर्गीय पन्नाराम जी के गोद जाने से वादी के हक अधिकार वास्तविक पिता की सम्पति मे से समाप्त हो गये एवं गोद पिता की सम्पति मे हक अधिकार समाहित हो गये। वादग्रस्त खसरा नम्बर 49 व 60 मे वादी के गोदपिता पन्नाराम पुत्र जोधाराम का राजस्व रेकर्ड मे आज भी नाम दर्ज है जिनके सम्पूर्ण रकबा का 37/260 वां हिस्सा भूमि राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है जिसपर वादी का ही कब्जा कास्त स्थापित है। तथा वादी के नाम दर्ज भूमि सम्पूर्ण रकबा का 37/1820 वां हिस्सा भूमि स्वर्गीय किशनाराम जी वास्तविक पिता के अन्य वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 2,4,7,10,11 व 12 के कब्जे कास्त व हक अधिकार मे है वादी अपने वास्तविक पिता कि सम्पति मे दर्ज अपने नाम को अर्थात वादी के नाम दर्ज भूमि को प्रतिवादीगण संख्या 2,4,7,10,11 व 12 के हक अधिकार मे छोडना चाहता है। अर्थात वादी के नाम दर्ज सम्पूर्ण रकबा का 37/1820 वां हिस्सा भूमि मे से नाम हटाया जाकर उक्त हिस्सा भूमि प्रतिवादीगण संख्या 2,4,7,10,11 व 12 के नाम दर्ज करवाना चाहता है। तथा स्वर्गीय पन्नाराम के नाम दर्ज वादग्रस्त खसरान के सम्पूर्ण रकबा का 37/260 वां हिस्सा भूमि वादी अपने नाम दर्ज करवाना चाहता है। वादी का वाद प्रथम दृष्टीया मामला है वादी वादग्रस्त खसरा की कृषि भूमि मे स्वर्गीय पन्नाराम पुत्र जोधाराम के नाम दर्ज भूमि पर कब्जे काश्त मे है इसलिए सुविधा का सन्तुलन भी वादी के पक्ष मे है। यदि वादग्रस्त खसरा मे स्वर्गीय पन्नाराम पुत्र जोधाराम के नाम दर्ज भूमि 37/260 वां हिस्सा भूमि को वादी के अधिकारों की घोषित नहीं कि जाती है तो वादी को अपार क्षति होगी जिसका आंकलन रूपयों से नही किया जा सकता है इसलिए वादग्रस्त खसरान की कृषि भूमि मे स्वर्गीय पन्नाराम पुत्र श्री जोधाराम के नाम दर्ज 37/260 वां हिस्सा भूमि को वादी के अधिकारों की घोषित करते हुऐ वादी के नाम दर्ज किया जाना न्यायहित मे बहुत ही जरूरी है। एक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय कि सादर फरमाई जावे की मौजा ग्राम भैयाखुर्द की राजस्व सीमा मे खसरा नम्बर 49 रकबा 2.0558 हैक्टयर, खसरा नम्बर 60 रकबा 3.2051 हैक्टयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 5.2609 हैक्टयर कृषि भूमि मे स्वर्गीय पन्नाराम पुत्र जोधाराम जाति नाई के हक हिस्से मे दर्ज भूमि हिस्सा 37/260 वां हिस्सा भूमि मे से स्वर्गीय पन्नाराम पुत्र जोधाराम के स्थान पर वादी मुकेश गोद पुत्र पन्नाराम नाई के नाम 37/260 वां हिस्सा भूमि की खातेदारी घोषित फरमाई जावें। वादग्रस्त खसरा नम्बर 49 व 60 वादी मुकेश के नाम 37/1820 वा हिस्सा भूमि दर्ज है उसमे से वादी का नाम हटाया जाकर वादी के स्थान पर प्रतिवादीगण संख्या 2, 4, 7, 10, 11 व 12 के नाम खातेदारी घोषित फरमाई जावें।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4, 7, 8, 10, 11, 12 की ओर से अधिवक्ता श्री धर्माराम चौधरी द्वारा वकालतनामा पेश किया जो शा.मि. किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 ता 6/5, 9, 13, 14 के समन बाद तामिल पेश होने के उपरान्त अनुपस्थित रहने से बार–बार आवाजे लगवाई गई। बावजूद उपस्थित नही होने से एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी द्वारा दस्तावेजी सूची के साथ ग्राम भैयाखुर्द के खसरा नं. 49, 60 की जमाबन्दी, आधारकार्ड जन आधारकार्ड राशनकार्ड की प्रतियां एवं गोदनामा की लिखा पढी की फोटो प्रति पेश की जो शा.मि. की गई है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5, 7, 8, 10, 11, 12 की ओर से इकबालिया जवाब दावा पेश कर वादी के पैराज को स्वीकार करते हुए निवेदन किया गया कि वादीगण की प्रार्थना अनुतोष सही होने से स्वीकार है वादी का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौजा ग्राम भैयाखुर्द के खसरा संख्या 49 रकबा 2.0558 हैक्ट. खसरा नं. 60 रकबा 3.2051 हैक्ट. कुल खसरे 2 कुल रकबा 5.2609 हैक्ट. कृषि भूमि में स्वर्गीय पन्नाराम पुत्र जोधाराम जाति नाई के हक हिस्से में दर्ज भूमि हिस्सा 37/260 वां हिस्सा भूमि में से स्वर्गीय पन्नाराम पुत्र जोधाराम जाति नाई का नाम हटाया जावे तथा स्वर्गीय पन्नाराम पुत्र श्री जोधाराम के स्थान पर वादी मुकेश गोद पत्रु पन्नाराम नाई के नाम 37/260 वां हिस्सा

भूमि की खातेदारी फरमा दी जावे तो हम प्रतिवादीगण पुर्णतया राहमत है। वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का पेश किया प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। साक्ष्य वादी में श्री मुकेश गोद पुत्र पन्नाराम पी.डब्ल्यू–1, पप्पु पुत्र किशनाराम डी.डब्ल्यू.–1, हेमाराम पुत्र किशनाराम डी.डब्ल्यू–2, गणपत पुत्र किशनाराम डी.डब्ल्यू–3, भंवरी पत्नी किशनाराम डी.डब्ल्यू–4, सुनिल पुत्र किशनाराम डी.डब्ल्यू–5, उदाराम पुत्र जीवणराम डी.डब्ल्यू–6, मदनलाल पुत्र राधाकिशन डी.डब्ल्यू–7, पुखराज पुत्र मदनलाल डी.डब्ल्यू–8, गोपीराम सैनी पुत्र शिवनारायण डी.डब्ल्यू–9, करणाराम पुत्र मांगुराम डी.डब्ल्यू–10, मांगीलाल पुत्र दलाराम डीब्ल्यू–11 के शपथ पत्र पेश हुए बयान कलमबद्ध किये जाकर शा.मि. किये गये। वकील वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम भैयाखुर्द के खसरा संख्या 49, 60 की जमाबन्दी, आधारकार्ड जनआधारकार्ड राशनकार्ड एवं गोदनामा की लिखापढी की प्रति पेश की जो शा.मि. की गई। दस्तावेजो की सूची के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी खसरा संख्या 217/49, 60 की प्रति पेश की जो शा.मि. की गई।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी। दौराने बहस वकील पक्षकारान द्वारा जाहिर किया गया कि किसनाराम पुत्र जोधाराम का पुत्र मुकेश स्व. पन्नाराम पुत्र जोधाराम के बाल्यकाल में ही गोद चला गया एवं पन्नाराम पुत्र जोधाराम के नाम दर्ज भूमि मुकेश के नाम किये जाने पर किसी को कोई आपति नही है। एवं मुकेश पन्नाराम के गोद चले जाने से उसी का हक अधिकार बनता है। अतः पन्नाराम पुत्र जोधाराम के नाम दर्ज भूमि में मुकेश का दर्ज किया जावे। साक्ष्य वादी व प्रतिवादी में उपस्थित गवाहो द्वारा भी पन्नाराम ने मुकेश को गोद लेना स्वीकार गया है एवं जो लिखा पढी हुई है उसे भी सही होना स्वीकार किया गया है। गवाह गोपीराम सैनी पुत्र शिवनारायण डी.डब्ल्यू–9, करणाराम पुत्र मांगुराम डी.डब्ल्यू–10, मांगीलाल पुत्र दलाराम डीब्ल्यू–11 द्वारा अपने बयानो में जो किसनराम के पुत्र मुकेश को पन्नाराम के खोले रखा जाने बाबत दिनांक 26.03.1998 लिखा पढी हुई है उसे सही होना स्वीकार किया गया है जिसमें गवाह के तोर पर किये गये हस्ताक्षर व अगूठा निशानी होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4, 7, 8, 10, 11, 12 द्वारा भी अपने जवाब में वादी के वाद को स्वीकार किया गया है।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज साक्ष्यो एवं बहस का आधोपन्त अध्ययन एवं मनन किया। मौजा भैयाखुर्द के खसरा संख्या 49 व 60 जिनके नये खसरा संख्या 217/49 व 60 में वादी व प्रतिवादीगण सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है। वाद वादी दस्तावेजी साक्ष्यो व गवाहो के बयानो से स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है कि मौजा भैयाखुर्द के खसरा संख्या 217/49 व 60 में दर्ज स्व. पन्नाराम पुत्र जोधाराम जाति नाई के हक हिस्से की भूमि में वादी मुकेश गोद पुत्र पन्नाराम जाति नाई निवासी भैयाखुर्द को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त खसरान में वादी के नाम दर्ज 37/1561 हिस्से में वादी का नाम हटाया जाकर किशनाराम के अन्य वारिसान प्रतिवादी संख्या 2, 4, 7, 10, 11 व 12 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रहन यथावत् रहेगा। तहसीलदार मकराना को तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक ...2019/12/3...को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

मकराना